न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

प्रकरण सं0 02/2016

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा जिला हनुमानगढ।

—प्रार्थी

बनाम्

1. चन्द्रभान पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी ढाणी खोखरान तहसील भादरा।
2. किस्तुरी पत्नी हरीराम जाति जाट साकिन गुंजासरी तहसील भादरा।
3. कृष्णा देवी पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट साकिन गुंजासरी तहसील भादरा।
4. विमला पत्नी चन्द्रसिंह जाति जाट साकिन गुंजासरी तहसील भादरा।
5. ज्ञानी देवी पत्नी सुखराम जाति जाट साकिन गुंजासरी तहसील भादरा।
6. प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विधालय ढाणी खोखरान तहसील भादरा।
7. प्राचार्य औधोगिक प्रशिक्षण संस्थाना भादरा।
8. अधीक्षक राजकीय अम्बेडकर छात्रावास भादरा।
9. सहायक अभियंता 220 केवी. जी.एस.एस. राजस्थान विधुत प्रसार निगम लि0 भादरा।
10. ग्राम पंचायत राजपूरा पंचायत समिति भादरा।

—अप्रार्थीगण

रैफरेंस विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 110 ग्राम ढाणी खोखरान, एव उपखण्ड अधिकारी भादरा का आदेश क्रमांक/ कैम्प/02/94 दिनांक 10.01.2001 अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— पेरोकार राज, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री संतलाल तिवाड़ी, अधिवक्ता अप्रार्थी

Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः— 17.03.2020

प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के आदेश दिनांक 10.01.2001 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 8 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 मे रैफरेंस पेश कर निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है–

1. ग्राम ढाणी खोखरान की जमाबन्दी सम्वत 2055–58 के खाता नम्बर 2 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, 117 रकबा 229 बीघा 6

अतिरिक्त जिला कलक्टर (हनुमानगढ)

बिस्वा, 119 रकबा 159 बीघा 17 बिस्वा, 120 रकबा 134 बीघा, 122/2, रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 131, रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, 132, रकबा 135 बीघा 18 बिस्वा, 133 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा, 134 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा कुल 755 बीघा 18 बिस्वा भमि गैर मुमकिन गौचर दर्ज रिकार्ड थी।

2. चालू जमाबन्दी सम्वत 2067-70 के खाता संख्या 75 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 117/5 रकबा 2.529 हैक्टयर भमि चन्द्रभान पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार साकिन ढाणी खोखरान के नाम गैर खातेदार दर्ज है, खाता संख्या 73 खसरा नम्बर 117/6 रकबा 14.00 हैक्टयर किस्तूरी पत्नी हीराराम, कृष्णादेवी पत्नी प्रतापसिंह, विमला पत्नी चन्द्रसिंह, ज्ञानी देवी पत्नी सुखराम ब.हि.ब. कोम जाट साकिन गुंजासरी गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 86 खसरा नम्बर 117/1 रकबा 0.810 हैक्टर राजकीय प्राथमिक विधालय ढाणी खोखरान खेल मैदान एवं भवन निर्माण दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 94 खसरा नम्बर 133/2 रकबा 1.012 हैक्टर औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान भादरा हेतु आरक्षित दर्ज है। खाता संख्या 95 खसरा नम्बर 133/1 रकबा 0.810 हैक्टर राजकीय अम्बेडकर छात्रावास भादरा के नाम दर्ज है। खाता संख्या 96 खसरा नम्बर 117/4 रकबा 1.480 हैक्टर राजकीय प्राथमिक विधालय ढाणीखोखरान खेल मैदान हेतु आरक्षित दर्ज है तथा खाता संख्या 97 खसरा नम्बर 133/3 रकबा 2.530 हैक्टर व खसरा नम्बर 134/1 रकबा 3.470 हैक्टर विधुत विभाग 220 के.वी. जी.एस.एस. राजस्थान राज्य विधुत प्रसार निगम लि0 भादरा के नाम दर्ज है।

3. प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 के दौरान तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी भादरा ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर गैर कानूनी तरीके से बिना किसी यथोचित कारण एवं सक्षम आदेश के बिना गैर मुमकिन गौचर भूमि को राजस्व रिकार्ड में किस्म परिवर्तन कर सिवाय चक काबिल काश्त भूमि दर्ज करने के आदेश जारी किये जबकि उपखण्ड अधिकारी को ऐसा आदेश करने का कोई कानूनी अधिकार नही था, उक्त किस्म परिवर्तन के प्रकरण मे भूमिधारी तहसीलदार भादरा को नहीं सुना गया। इस आदेश की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 10.01.2002 किया गया। इस प्रकार उक्त के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे हुए किस्म परिवर्तन के आधार पर गौचर भूमि जो कि ग्राम के पशुओं के चरने के काम में लाई जाती थी, का विभिन्न आवंटन / आरक्षण आदि आदेशों के जरिये राजकीय खाते से अन्तरण किया जा चुका है। उक्त आदेश गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Web Copy - Not Official

4. वाद बहुमूल्य राजकीय गैर मुमकिन गोचर भूमि का है, उक्त भूमि ग्राम के पशुओं को चराने के काम मे ली जाने हेतु रखी गई है। भूमि नगर पालिका भादरा के पास स्थित होने के कारण राज्य सरकार के आदेश बिना किसी को आवंटन आदि नही किया जा सकता है। इससे संबंधित सभी आदेश एवं अन्तरण काबिल खारीजी है।

5. प्रकरण की मूल पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय भादरा द्वारा जिला कार्यालय पर पूर्व में ही भिजवाई जा चुकी है।

6. उपखण्ड अधिकारी भादरा (उनके आधार पर नामान्तरकण) के आदेश क्रमांक/केम्प/02/94 दिनांक 10.01.2002 एवं नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 10.01.2001 मि.न. 4 निर्णय दिनांक 08.10.2001, नामा0 सं0 112 दिनांक 22.05.2002 बहक रा0प्रा0विधालय ढाणीखोखरान, मि0न0 4 निर्णय दिनांक 14.10. 2002 व मि0न0 5/2 निर्णय दिनांक 14.10.2002 नामा0 118 दिनांक 02.08कृ 2003 बहक किस्तूरी पत्नी हीराराम आदि पत्र क्रमांक 6 दिनांक 18.10.2001, नामान्तरकरण संख्या 119 दिनांक 02.08.2003 बहक आबादी आरक्षित, मि0न0 11/3 निर्णय दिनांक 11.03.2003 नामा0 121 दिनांक 02.08.2003 बहक चन्द्रभान पुत्र रामस्वरूप, प्रकरण संख्या 1 पत्रांक 1181 दिनांक 24.08.2006 नामा0 संख्या 156 दिनांक 15.09.2006 बहक राजकीय अंबेडकर छात्रावास, पत्र क्रमांक/175 दिनांक 14.02.2007 नामा0 160 दिनांक 20.02.2007 बहक औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान भादरा जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक/एफ/15(5)(1)राज/2006/2477 दिनांक 21.05.2009 लीज नामा0 192 दिनांक 15.07.2009 बहक 220 केवीजी.एस.एस. भादरा उक्त सभी आदेश व निर्णय एवं उनके आधार पर दर्ज सभी नामान्तरकरण एवं उनके आधार पर जमाबंदी एवं रिकार्ड मे हुए समस्त परिवर्तनों को खारिज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

अतः रैफरेंस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र मे दर्ज बिन्दुओं को बाद परीक्षण वास्ते स्वीकृत राजस्व मण्डल अजमेर की सेवा में प्रस्तुत रैफर करने की कृपा करावे।

रैफरेंस दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक कलक्टर नोहर मुख्यालय भादरा (कैम्प प्रशासन गांव के संग अभियान नांगल 2001) द्वारा अपने पत्रांक / कैम्प / 02 / 94 दिनांक 10.01.2002 से रोही मौजा ढाणी खोखरान के खसरा नम्बर 26 की 3.18, 117 / 2 की 229.06, 119 की 159.17, 120 की 134.00, 122 / 2 की 3.02, 131 की 6.04, 132 की 135.18, 133 की 25.08, 134 की 58.05 कुल 755.18 बीघा गै.मु. गोचर से मुताबिक ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार सिवाय चक काबिल काश्त भूमि घोषित कर दी गई। जिसका सहायक कलक्टर को अधिकारिता नहीं थी एवं इस तरह गैर मुमकिन गौचर भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित कर देना विधि विरूद्ध होने से काबिल खारीज है एवं इस विधि विरूद्ध आदेश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को किया गया आवंटन विधि सम्मत नहीं है अतः रैफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी तहसीलदार भादरा जिला हनुमानगढ़ को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रैफरेंस प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें।

17/03/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर, हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official